राज्य स्कीम

बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0–03/निदे0 (छात्रावास संधा0)–66–24/2018– 23

प्रेषक,

निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार (खगड़िया, शिवहर एवं वैशाली जिला को छोड़कर)।

पटना, दिनांक– 11/05/2026

विषयः–वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत संकल्प संख्या–1143 दिनांक–10.05.2018 के आलोक में राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्ति योजना का लाभ देने के लिए प्रथम चार माह के लिए अनुसूचित जाति के लिए ₹37,21,016/–(सैंतीस लाख इक्कीस हजार सोलह रू०) मात्र एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹4,08,463/–(चार लाख आठ हजार चार सौ तिरसठ रू०) मात्र अर्थात कुल ₹41,29,479/–(इकतालीस लाख उनतीस हजार चार सौ उन्नयासी रू०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत संकल्प संख्या–1143 दिनांक–10.05.2018 के आलोक में राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अनुसूचित जाति एवं 'अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) की आपूर्ति योजना का लाभ देने के लिए अनुसूचित जाति के लिए ₹1,12,75,805/–(एक करोड़ बारह लाख पचहत्तर हजार आठ सौ पाँच रू०) एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹12,37,766/–(बारह लाख सैंतीस हजार सात सौ छियासठ रू०) मात्र अर्थात कुल ₹1,25,13,571/–(एक करोड़ पचीस लाख तेरह हजारं पाँच सौ इकहत्तर रू०) मात्र की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या– 22 दिनांक–11-05-2026 द्वारा प्रदान की गई है। तदनुरूप उक्त स्वीकृत राशि में से वित्त विभाग के पत्रांक–314 दिनांक–01.04.2026 के आलोक में प्रथम चार माह हेतु अनुसूचित जाति के लिए ₹37,21,016/–(सैंतीस लाख इक्कीस हजार सोलह रू०) मात्र एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹4,08,463/–(चार लाख आठ हजार चार सौ तिरसठ रू०) मात्र अर्थात कुल ₹41,29,479/–(इकतालीस लाख उनतीस हजार चार सौ उन्यासी रू०) मात्र की राशि संलग्न विवरणी 1 एवं 2 के अनुसार आवंटित की जाती है। इस आवंटित राशि से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक–4391 दिनांक–10.09.2018 के आलोक में खाद्यान्न पहुँचाने हेतु प्रशासनिक एवं परिवहन सह हथलन मद में 118.90 रूपये (एक सौ अठारह रू० नब्बे पैसा) प्रति क्विंटल की दर से भुगतान की जाएगी

2– आवंटित राशि का व्यय राज्य स्कीम से अनुसूचित जाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष '2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उप मुख्यशीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघु शीर्ष–277–शिक्षा, उपशीर्ष 0101–शिक्षा, विषय शीर्ष–0101.21.01–सामग्री एवं पूर्तियां, मांग संख्या–44, विपत्र कोड संख्या–44–2225012770101 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उप मुख्यशीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, लघु

शीर्ष–277–शिक्षा, उपशीर्ष 0101–शिक्षा, विषयशीर्ष–0101.21.01–सामग्री एवं पूर्तियां, मांग संख्या–44, विपत्र कोड संख्या–44–2225022770101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3–इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। वे राशि की निकासी संलग्न विवरणी 1 एवं 2 के अनुसार करेंगे। वे राशि का निकासी कर अपने जिला के जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को मांग के आलोक में ई–चालान के माध्यम से राशि हस्तगत् करायेंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी जिला पदाधिकारी होंगे।

4–राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17–4–98 एका समय–समय पर दिए विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

5–महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6–राशि की समुक्ति एवं नियमानुसार उपयोग के लिए संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होगे तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

7–कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

निदेशक

ज्ञापांक–03/निदे0 (छात्रावास संधा0)–66–24/2018– 23 दिनांक– 11/05/2026

प्रतिलिपि–(1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास बिहार पटना/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) (i) अपर सचिव अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सभी सहायक निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु जनजाति कल्याण विभाग/आई० टी० मैनेजर/संबधित प्रशाखा पदा०, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/सभी संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

विवरण–1 अनुसूचित जाति

क्रम सं०	जिला का नाम	वास्तविक आवासन क्षमता	कुल खाद्यान्न (किलो0 ग्राम में)	वित्तीय वर्ष 2026–27 के चार माह के लिए आवंटित राशि (33%)
1	2	3	4	5
1	Araria	225	40500	83398
2	Arwal	25	4500	9266
3	Aurangabad	50	9000	18533
4	Banka	150	27000	55598
5	Begusarai	50	9000	18533
6	Paschim Champaran, Bettiah	340	61200	126023
7	Bhagalpur	350	63000	129730
8	Bhojpur	475	85500	176062
9	Buxar	250	45000	92664
10	Darbhanga	550	99000	203861
11	Gaya	300	54000	111197
12	Gopalganj	75	13500	27799
13	Jamui	150	27000	55598
14	Jehanabad	300	54000	111197
15	Kaimur	575	103500	213127
16	Katihar	118	21240	43737
17	Kishanganj	200	36000	74131
18	Lakhisarai	100	18000	37066
19	Madhepura	175	31500	64865
20	Madhubani	50	9000	18533
21	Purbi Champaran, Motihari	100	18000	37066
22	Munger	100	18000	37066
3	Muzaffarpur	380	68400	140849
4	Nalanda	350	63000	129730
5	Nawada	475	85500	176062
6	Patna	837	150660	310239
7	Purnia	325	58500	120463
3	Rohtas	325	58500	120463
)	Saharsa	75	13500	27799
)	Samastipur	1265	227700	468880
	Saran	150	27000	55598
	Sheikhpura	25	4500	9266
	Sitamarhi	525	94500	194594
	Siwan	274	49320	101560
	Supaul	325	58500	120463
कुलः–		**10039**	**1807020**	**3721016**

पत्रांक– 23

दिनांक– 11/05/2026 का अनुलग्नक

निदेशक

विवरण–2 अनुसूचित जनजाति

क्रम संख्या	जिला का नाम	वास्तविक आवासन क्षमता	कुल खाद्यान्न (किलो0 ग्राम में)	वित्तीय वर्ष 2026–27 के चार माह के लिए आवंटित राशि (33%)
1	2	3	4	5
1	Banka	150	27000	55598
2	Bettiah	277	49860	102672
3	Bhagalpur	200	36000	74131
4	Jamui	150	27000	55598
5	Kaimur	25	4500	9266
6	Muzaffarpur	100	18000	37066
7	Purnia	175	31500	64865
8	Rohtas	25	4500	9266
कुलः–		**1102**	**198360**	**408463**

पत्रांक– 23 दिनांक–11/05/2026 का अनुलग्नक

निदेशक